संख्या- 4 /2025/आई/1173252/202584-1002(002)/1/2024

प्रेषक,

त्रिभुवन दास,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12-12-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक" 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद"01-वेतन की बचतों से समान लेखाशीर्षक की अन्य मानक मद में पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-235/निविमावि-लेखा-7(25) पुनर्विनियोग मांग/2025-26,दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की 01-वेतन मद में हो रही बचतों से सामान्य लेखाशीर्षक के मानक मद 26 मशीन और सज्जा/ उपकरण और संयत्र मद में भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदया रू0 73.47 लाख मात्र(रूपया तिहत्तर लाख सैतालीस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेाग तथा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0संख्या-बजट-1-171-दस-2025, दिनांक10.12.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
त्रिभुवन दास
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
त्रिभुवन दास
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या -21 के लेखाशीर्षक - 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -106 - भार और माप का विनियमन -03- अधिष्ठान (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग) वित्तीय वर्ष 2025-26

प्रपत्र–बी0एम0-9

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान-3475-00-106-00-03-01-वेतन	4500.00	2816.11	73.47	73.47	4426.53
योग	4500.00	2816.11	73.47	73.47	4426.53
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान-3475-00-106-00-03-26	0.00	73.47	73.47	73.47	73.47
योग	0.00	73.47	73.47	73.47	73.47

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- पदों के रिक्त होने का कारण ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ- 9 में अंकित अधिक व्यय से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई प्राविधान उपलब्ध न हाने ,विभाग में व्यापारियों के बांटों मांपों,तौल उपकरणों के सत्यापन मुद्रांकन हेतु जनवरी,026 से वार्षिक सीलों के प्रयुक्त किये जाने की अनिवार्यता एवं द्वितीयमानकों के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में 'उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0 ई0 संख्या-बजट-1-171-दस-2025

त्रिभुवन दास
अनु सचिव
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग

दिनांक – 10-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

हस्ताक्षर

मंजीत सिंह
अनु सचिव
वित्त विभाग

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -1, (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

त्रिभुवन दास
अनु सचिव
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।